

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु,

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/चूरु/आर.टी.ई/ऑनलाईन मान्यता/2016/ 2762 दिनांक : 23-3-17

अध्यक्ष/सचिव

प्रबन्ध समिति,

जयपुर पब्लिक स्कूल,

वार्ड नं. 13 रिको औद्योगिक क्षेत्र, तारानगर

तहसील तारानगर जिला चूरु

विषय:--नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय,

आपके आवेदन दिनांक 09.05.2016 और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जयपुर पब्लिक स्कूल, वार्ड नं. 13 रिको औद्योगिक क्षेत्र, तारानगर तहसील तारानगर (चूरु) को 2016-17 से कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी के लिए स्थाई मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विधालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विधालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विधालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटार्ड प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विधालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इन्कार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विधालय यह सुनिश्चित करेगा कि :-
 - i विधालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;
 - iii किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
 - iv प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ;
 - v 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये ;

vi अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें; परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वें 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

vii अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और

viii अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विधालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य विवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विधालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा – विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
 - विधालय परिसर का क्षेत्र – 5000 वर्ग मीटर
 - कुल निर्मित क्षेत्र – 972 वर्ग मीटर
 - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र – है।
 - कक्षा के कमरों की संख्या – 8
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष – है।
 - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर – है।
 - पीने के पानी की सुविधा – है।
 - मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई – नहीं
 - अवरोध मुक्त पहुँच – है।
 - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता – है।
9. विधालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विधालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विधालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विधालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जायेगी।
14. विधालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को जगहवार पूरा करने या विधालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
15. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा, चूरु

मान्यता कोड : RJCHU24087

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी CHURU , राजस्थान

क्रमांक: निशिक्षा/प्रशिक्ष/प्रवर्ध/PSR/ओनलाइनमान्यता/2018/1849 दिनांक 26-07-2018
सचिव

प्रबंध समिति

JAIPUR PUBLIC SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

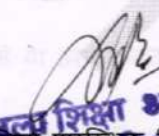
आपके आवेदन पत्र क्रमांक 22273 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, JAIPUR PUBLIC SCHOOL पता WARD No.13, RIICO INDUSTRIAL AREA, TARANAGAR, TEHSIL- TARANAGAR, DISTRICT- CHURU, RAJASTHAN ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NP-TARANAGAR ब्लॉक TARANAGAR को शैक्षिक सत्र 2018-19 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

मान्यता का प्रकार	क्रमोन्नति
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
- विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी CHURU , राजस्थान

- (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

 26.7.18
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) अधिकारी